उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4

संख्या : 1308 /बावन-4-2004-2(15)/96 टीसी0- III

लखनऊ : दिनांक : 19 अगस्त, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 44 यथा संशोधित) की धारा-3(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, **श्री मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट, पुत्र श्री इरशाद हुसैन, 36, जगत नरायन रोड, गोलागंज चौराहा, लखनऊ उत्तर प्रदेश** को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सदस्य नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 के नियम-2(क) के परन्तुक के अनुसार उन्होनें 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

2. यह नियुक्ति रिट याचिका संख्या-2347/99 (एम0बी0) नलिन फिलिप्स बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन की जाती है।

मो0 मुस्तफा
विशेष सचिव

संख्या :1308(1)/बावन-4-2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ।
3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4. सचिव, भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ।
9. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद / लखनऊ ।
10. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण, उत्तर प्रदेश ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
12. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, उत्तर प्रदेश ।
13. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया इसे सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
14. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
15. सम्बन्धित सदस्य ।
16. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मो0 अकरम)
उपसचिव